

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 21, सोमवार, १९४७- अक्टूबर 13, 2025 Asvina 21, Monday, Saka 1947- October 13, 2025	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 13, 2025

संख्या एफ 3(1)(1)सामान्य-1/निर्वा/2025/डी-731 :- भारत निर्वाचन आयोग की निम्न अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

नवीन महाजन,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 13 अक्टूबर, 2025

21 आश्विन, 1947 (शक)

अधिसूचना

सं.100/राज.-वि.स./1/2025:- यतः, राजस्थान राज्य की विधानसभा में 193- अंता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री कंवरलाल का स्थान उनके निरर्हित होने के कारण दिनांक 23 मई, 2025 को रिक्त हो गया है, और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है:

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1), धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा:-

(अ) राजस्थान राज्य के उक्त 193- अंता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 16 नवम्बर, 2025 (रविवार) से पहले राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए; और

(ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नाम-निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 21 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार);

(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 23 अक्टूबर, 2025 (गुरुवार);

(ग) अभ्यर्थिताए वापस लेने हेतु अंतिम तारीख, 27 अक्टूबर, 2025 (सोमवार);

(घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 11 नवम्बर, 2025 (मंगलवार) ;

(ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 16 नवम्बर, 2025 (रविवार) ;
और

(स) पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 13th October, 2025
21 Asvina, 1947 SAKA

NOTIFICATION

No. 100/RJ-LA/1/2025:-WHEREAS, the seat of **Shri Kanwarlal** in the Legislative Assembly of the State of Rajasthan, elected from **193-Anta** Assembly Constituency, has become vacant on **23rd May, 2025** by the reason of his **Disqualification; and**

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said **193-Anta** Assembly Constituency in the State of Rajasthan to elect, before the 16th November, 2025 (Sunday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; **and**

(B) appoints, with respect to said election:-

- i. the **21st October, 2025 (Tuesday)**, as the last date for making nominations;
- ii. the **23rd October, 2025 (Thursday)**, as the date for the scrutiny of nominations;
- iii. the **27th October, 2025 (Monday)**, as the last date for the withdrawal of candidatures;

- iv. the **11th November, 2025 (Tuesday)**, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- v. the **16th November, 2025 (Sunday)**, as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours** from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By Order,

SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।